

Tel No:022-27887026
Fax No: 022-27887019



ब्रिट/बीएआरसी वाशी कॉम्प्लेक्स,
BRIT/BARC Vashi Complex
सेक्टर 20, वाशी/Sec-20, Vashi
नवी मुंबई / Navi Mumbai-400703

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड
Board of Radiation & Isotope Technology

ब्रिट सर्तकता 2018/ 107

नवंबर 10, 2018

To,
श्री किशोर देशमुख, Shri Kishor Deshmukh
जीवनकला धर्मशाला, GivankalaDharmashala,
माऊली पार्क, मार्कल रोड, MauliPark,Markal Road,
आलंदी देवाची, AalandiDevachi,
ताल: खेड़जिला: पुणे -412105 Tal Khed Dist.Pune-412105

Sub :Information under RTI Act- 2005 reg

महोदया / Sir,

कृपया दिनांक 25/10/2018 के अपने आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जिसे दिनांक 25/10/2018 को इस बोर्ड को भेजा गया था। Please refer to your RTI dated 25.10.2018 which has been inter-alia transferred to this Board on 25.10.2018

जहां तक, परमाणु ऊर्जा विभाग के विआप्रौबोर्ड का संबंध है, का उत्तर निम्नानुसार है/ The reply thereto as far as the Board of Radiation and Isotope Technology(BRIT), Department of Atomic Energy is concerned, is as follows:-

Information Sought for	Reply
1. 01.10.2018 को डीएईमें सीएचएसएस के तहत नामित होने के लिए एक आश्रित माता-पिता द्वारा पेंशन की कुल राशि कितनी होनी चाहिए। कृपया सटीकराशि का उल्लेख करें अर्थात् मूल पेंशन की राशि और डीआर की राशि मिलकर कुल राशि के बराबर होगी। Exact total amount of pension to be drawn by a dependent parent to be enrolled under CHSS in DAE as on 01.10.2018. Please mentioned exact amount i.e. amount of basic pension plus amount of DR is equal to total amount of pension..	9000 / - प्लस 9% डीआर = 9810/- 9000/- Plus 9% DR = 9810
2. उन कर्मचारियों की सूची जिन्होंने सीएचएसएस में अपने माता-पिता को नामित किया है, जो डीएई और उसके संघटक इकाइयों, पीएसयू और सहायता प्राप्त संस्थानों में 9,810 / - (बीपी 9, 000 प्लस डीआर 810 अर्थात् 9000/- का 9%) से अधिक पेंशन ले रहे हैं। 2. List of employees who have enrolled their parents in CHSS who are drawing pension more than Rs.9,810/- (BP 9,000 plus DR 810 i.e 9% of 9000/-) in DAE and its Constituent Units, PSUs and Aided institutes.	शून्य NIL
3) कृपया यूनिट वार (डीएई और इसके संघटक इकाइयों, पीएसयू और सहायता प्राप्त संस्थान) आंकड़े उपलब्ध कराएं जो सीएचएसएस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, और जिनके माता-पिता की कुल पेंशन 12,000 से अधिक है 3) Kindly provide unit wise (DAE and its Constituent Units, PSUs & Aided institutes) numbers availing CHSS facility to their parents having total pension more than 12,000	शून्य NIL

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत यदि कोई अपील हो, तो उसे इस संप्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर विआप्रौबोर्ड के निम्नलिखित अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है ।

Appeal, if any, under Section 19 of RTI Act 2005 can be preferred to the following Appellate Authority in BRIT within 30 days from the date of receipt of this communication:

श्री जी. गणेश Shri G. Ganesh,
मुख्य कार्यकारी, Chief Executive,
विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड Board of Radiation and Isotope Technology,
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy,
सेक्टर -20, विआप्रौबोर्ड/बीएआरसी Sector-20, BRIT/BARC,
वाशी कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई -400703 Vashi Complex, Navi Mumbai- 400703
संपर्क Contact No: 022 2784 0000
ई-मेल E-mail chief@britatom.gov.in

भवदीय Yours faithfully,

भवदीय Yours faithfully,


मनोज जगसिया (Manoj Jagasia)

प्रशासनिक अधिकारी/ Administrative Officer &
सहायक जन सूचना अधिकारी (Assistant Public Information officer)